संख्या : 155-रा०-/18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून : दिनांक : 15 जनवरी, 2007

विषय: मै0 ब्रोसिल ग्लास वर्क्स लिमिटेड को तहसील रूड़की के ग्राम नल्हेड़ी देहविरान में कुल 11.78 एकड़ भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–6283/भूमि व्यवस्था–भू0क0 दिनांक 10 नवम्बर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 ब्रोसिल ग्लास वर्क्स लिमिटेड को उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम,1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील रूड़की के ग्राम नल्हेड़ी देहविरान में कुल 11.78 एकड़ भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं :–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नही करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

........2

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पॉट जोनिंग क्षेत्र के लिये निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

7– प्रस्तावित क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रचलित नियमों/मानकों एवं उपलब्धियों के अन्तर्गत नियमानुसार भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8– प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा)–2005 के अनुरूप निर्माण होगा।

9– प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

10– इकाई द्वारा क्रय की जा रही भूमि का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन हेतु ग्लास उद्योग की स्थापना हेतु किया जायेगा।

11– प्रश्नगत उद्योग की स्थापना से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन विभाग आदि विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

12– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

2– तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– श्री पी0के0खैरूका, डायरेक्टर, मै0 ब्रोसिल ग्लास वर्क्स लिमिटेड, खन्ना कन्सट्रक्शन हाऊस, 44 डॉ0 आर0जी0थडानी मार्ग, वर्ली, मुम्बई–400018
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।